डा0 मुकुल कुमार सती
अपर राज्य परियोजना निदेशक।

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
राज्य परियोजना कार्यालय,
तपोवन मार्ग, ननूरखेडा,
रायपुर, देहरादून।
Website: http://ssa.uk.gov.in/
Email - spd-ssa-uk@nic.in
☎/Fax No: (0135) 2781941, 2781942

सेवा में,

आवश्यक / महत्वपूर्ण

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
   समस्त–जनपद उत्तराखण्ड।
2. जिला परियोजना अधिकारी,
   सर्व शिक्षा अभियान,
   समस्त–जनपद उत्तराखण्ड।

पत्रांक :– अ0रा0प0नि0 / 238 / पैडा0 / विध्यांजली / 2016–17 दिनांक 02 जून, 2016

विषय :– विध्यांजली (Vidyanjali)–विद्यालय स्वयंसेवी कार्यक्रम (School Volunteer Programme) के क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 20-2/2016-EE.17 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 22 जून, 2015 को मा0 प्रधानमंत्री जी ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान इच्छा व्यक्त की कि राजकीय विद्यालयों में सह–शैक्षिक गतिविधियों के समृद्ध एवं मजबूत क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक (Volunteer) जो निःशुल्क योगदान देना चाहते है, यथा सेवा–निवृत्त अधिकारी / कार्मिक, पेशेवर व्यक्ति इत्यादि की सेवायें ली जा सकती हैं, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ना, सृजनात्मक लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, बच्चों के साथ कहानी की किताबों को तैयार करना, मॉडल बनाना, शैक्षणिक, जीवन कौशल के लिए परामर्श देना, संगीत एवं नृत्य गतिविधियाँ आदि सम्मिलित है। संदर्भित कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाना है –

<u>प्रथम चरण :–</u> प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद के जनपद मुख्यालय / विकासखण्ड मुख्यालय से 5 राजकीय विद्यालयों (2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 3 ऐसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय / राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय / राजकीय इण्टर कॉलेज जिसमे कक्षा 6 से 8 तक की कक्षायें संचालित हो रही है) का चयन किया जाना है। चयन हेतु निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाय।

1. विद्यालय में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य हो।
2. विद्यालय में कम से कम 1 महिला अध्यापिका हो या विद्यालय सह–शिक्षा (Co-ed) के रूप में संचालित हो।
3. विद्यालय में इण्टरनेट सुविधा या मोबाईल की पहुँच हो।
4. विद्यालय का भवन सुरक्षित हो एवं विद्यालय में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।
5. विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार हो।

उक्तानुसार चयनित विद्यालयों की सूचना दिनांक 3 जून, 2016 तक संलग्न प्रारूप में ई–मेल, फैक्स या वाट्स–एप के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

<u>द्वितीय चरण :–</u> कार्यक्रम के विस्तृत रूपरेखा एवं क्रियान्वयन हेतु द्वितीय चरण में चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों / प्रधानाध्यापकों एवं उप शिक्षा अधिकारियों की एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला दिनांक 4 जुलाई से 8 जुलाई, 2016 के मध्य सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक जनपद में आयोजित की जायेगी जिसमें राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कर विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

तृतीय चरण :– तृतीय चरण में स्वैच्छिक (Volunteer) के रूप से योगदान दे रहे व्यक्ति का चयन जो उपरोक्तानुसार सह–शैक्षिक गतिविधियों मे दक्ष हों एवं अपनी सेवा निःशुल्क प्रदान करना चाहते हों, द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित My Gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे। इस पोर्टल में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा अपने विद्यालय की आवश्यकतानुसार सह–शैक्षिक गतिविधियों का उल्लेख किया जायेगा जिनमें उन्हें स्वैच्छिक (Volunteer) की आवश्यकता है। तत्पश्चात स्वैच्छिक (Volunteer) द्वारा ऑनलाईन प्रारूप पर मांगे गये विस्तृत विवरणानुसार आवेदन किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से समन्वयन स्थापित कर की जायेगी। तत्पश्चात सम्बन्धित स्वैच्छिक (Volunteer) को सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

चतुर्थ चरण :– चतुर्थ चरण में चयन के उपरान्त स्वैच्छिक (Volunteer) द्वारा न्यूनतम 12 दिन या दो सप्ताह तथा 12 सप्ताह तक प्रति सप्ताह 1 दिन अपनी सेवायें सम्बन्धित विद्यालय में निःशुल्क प्रदान की जायेंगी। सम्बन्धित स्वैच्छिक (Volunteer) द्वारा अपना योगदान विद्यालय कार्य दिवस में ही दिया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर श्रीमती हेमलता भट्ट विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय स्तर पर सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होगें।

अतः उक्तानुसार कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है तथा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्रीमती हेमलता भट्ट विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान से उनके मोबाईल नं0 9411514525 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः– यथोपरि।

02/06/2016

(डा0 मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0: अ.रा.प.नि./238 /पैडा0/विध्यांजली/2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/06/16

(डा0 मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।